

प्राचार्य का कार्यालय
राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया, पश्चिम चम्पारण।

निविदा आमंत्रण सूचना

राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया, पश्चिम चम्पारण के विभिन्न विभागों में यू०जी० एवं पी०जी० कोर्स संचालन के निमित्त राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली के मापदण्ड के अनुरूप उपस्कर एवं अन्य सामानों की आपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में निर्माता/अधिकृत विक्रेता या आपूर्तिकर्ता से मुहरबन्द निविदा प्रकाशन की तिथि से 21 (इक्कीस) दिनों के अन्दर निर्बंधित डाक/स्पीड पोस्ट डाक द्वारा आमंत्रित की जाती है। दोनों अलग-अलग लिफाफा के ऊपर क्रमशः “तकनीकी निविदा उपस्कर” एवं “वित्तीय निविदा उपस्कर” लिखा होना चाहिए एवं इन दोनों लिफाफे को एक बड़े लिफाफे अन्दर डालकर उसे सील करके उसके ऊपर “निविदा : उपस्कर हेतु ‘राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया, पश्चिम चम्पारण, बेतिया’ लिखा होना चाहिए। उपस्कर की तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग होगी।

21वें दिन अगर किसी प्रकार का अवकाश रहता है या किसी अपिरहार्य कारण से प्राचार्य कार्यालय बन्द रहता है, तो उसके अगले दिन शाम 05:00 बजे तक निविदा प्राप्त की जायेगी। उपर्युक्त दिए गए अवधि के पश्चात् प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा एवं स्वतः रद्द समझा जाएगा। निविदा प्राप्ति के अंतिम तिथि के एक दिन पश्चात् दुसरे दिन (उदाहरण स्वरूप :— अगर निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि 15 तारीख हो तो 17 तारीख को खोली जाएगी) कार्यालय कार्य दिवस एवं कार्य अवधि में तकनीकी निविदा, क्रय समिति के समक्ष 12:00 बजे दिन में खोली जाएगी, जिसमें आप स्वयं या आपके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि प्राधिकार-पत्र एवं पहचान पत्र (आधार कार्ड) के साथ भाग ले सकते हैं। निविदा के नियम एवं शर्तें प्रथम प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के अन्दर किसी भी कार्य दिवस के दिन कार्यालय अवधि में अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। इसे संस्थान के वेबसाइट www.gmcbettiah.org पर भी देखा/डाउनलोड किया जा सकता है।

क्र० सं०	मदवार निविदा का नाम	अग्रधन की राशि
1.	उपस्कर	50,000/-

प्राचार्य
राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय,
बेतिया, पश्चिम चम्पारण।

नियम एवं शर्तें

निविदा दो प्रकार की होगी :– (1) तकनीकी निविदा (2) वित्तीय निविदा।

(क) तकनीकी निविदा की शर्तें :-

निविदा के साथ निम्न कागजात के स्व-हस्ताक्षरित एवं पृष्ठांकित प्रति निम्न क्रान्तुरार रांगन रहना चाहिए:-

1. निविदा कम्प्यूटरराईजड होना चाहिए तथा एजेन्सी/फर्म/एन०जी०ओ० को पूर्ण रथायी एवं पत्राचार का पता दूरभाष सं०, मोबाइल नं०, ई-मेल आई०डी०, वेबसाइट आदि का ब्यौरा देना अनिवार्य होगा।
2. निविदादाता को उल्लेखित अग्रण राशि (EMD) का वैक ड्राफ्ट, जो राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक वैकों द्वारा निर्गत प्राचार्य राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, वेतिया, पश्चिम चम्पारण के पक्ष में देय हो, की मूल प्रति रांगन करना अनिवार्य होगा। वैक ड्राफ्ट की स्कैन कोपी मान्य नहीं होगी। EMD की राशि निविदा के साथ प्रत्युत नहीं किये जाने पर आपकी निविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी।
3. एजेन्सी/फर्म/एन०जी०ओ० का PAN कार्ड की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।
4. एजेन्सी/फर्म/एन०जी०ओ० को वरतु एवं सेवा कर के अंतर्गत निवंधन अनिवार्य होगा, GST निवंधन का स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।
5. किसी भी राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/अन्य प्रतिष्ठान को निम्नलिखित कंडिका के साथ Notarised शपथ पत्र मूलप्रति मे जमा करना होगा, जो निम्न है :-
 - a. निविदा में दिये गये सभी शर्त मुझे मान्य हैं।
 - b. मेरे फर्म को किसी भी सरकारी/गैर सरकारी संस्था द्वारा कभी भी काली सूची में दर्ज नहीं किया गया है।
 - c. मेरे फर्म का नाम कभी भी किसी अपराधिक मामले में दर्ज नहीं है तथा न्यायलय द्वारा दंडित नहीं किया गया है।
 - d. निविदा में अंकित दर बाजार मूल्य/मुद्रित मूल्य से अधिक नहीं है। आपूर्ति आदेश निर्गत करने के पूर्व चयनित आपूर्तिकत्ताओं को एक शपथ-पत्र देना होगा कि निविदा में उनके द्वारा उद्धृत दर सही है और बाजार दर के अन्तर्गत है। यदि भविष्य में अंकित किया गया दर अधिक प्रमाणित होता है तो अधिक राशि सूद सहित वापस कर दी जाएगी।
6. GST के अन्तर्गत मार्च-2024 माह के लिए दाखिल विवरणी की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।
7. भारतीय श्रम अधिनियम के तहत Bihar Shops and Establishment Act के अन्तर्गत एजेन्सी/संस्थान का निवंधन अनिवार्य होगा, इसकी स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।
8. एजेन्सी/फर्म/एन०जी०ओ० द्वारा तीन वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 का आयकर रिटर्न निविदा से साथ संलग्न करना होगा।
9. निविदा माँगी गई विशिष्टता एवं मेक का तकनीकी निविदा की विवरणी में अंकित करना होगा तथा वित्तीय निविदा में उसका दर अंकित करना होगा। माँगी गई विशिष्टता/मेक से भिन्न होने पर निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
10. निविदाता को कम से कम तीन वर्षों का Tax Certificate की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
11. निविदा हेतु नामित मशीन/उपकरण का तकनीकी विशिष्टता की तालिका (Table) सूची संलग्न होना चाहिए।
12. वारंटी अवधि एवं वार्षिक रख-रखाव की स्वीकृति के लिए सहमति पत्र देना अनिवार्य होगा।
13. निर्माता/आयातक द्वारा जारी प्राधिकार पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
14. तकनीकी निविदा अनुपालन प्रतिवेदन भी देना अनिवार्य होगा।
15. अगर आपके द्वारा किसी सरकारी (राज्य सरकार/केन्द्र सरकार) संस्था को पूर्व में आपूर्ति दिया गया हो तो उसकी Working Certificate होने पर प्राथमिकता दी जाएगी।

(ख) वित्तीय निविदा की शर्तें

वित्तीय निविदा के साथ संलग्न करने वाले अनिवार्य आवश्यक कागजात की सूची :-

1. वित्तीय निविदा में कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार क्रमवार दर का उल्लेख करना होगा।
2. वित्तीय निविदा में अंकित की गई दर जी०एस०टी० रहित एवं जी०एस०टी० सहित अंकित करना होगा।
3. निविदा के तकनीकी शर्तों को पूरा करने वाले न्यूनतम दर दाता को अपूर्ति आदेश निर्गत किया जायेगा। न्यूनतम दर दाता द्वारा समान की आपूर्ति नहीं करने पर द्वितीय न्यूनतम दर दाता को नियमानुसार आपूर्ति आदेश निर्गत की जाएगी।
4. निविदादाता द्वारा सामग्रीयों का दर अनिवार्य रूप से शब्दों एवं अंकों के रूप में होना चाहिए, इसमें सभी अकास्मिक खर्च शामिल होना चाहिए (जैसे :- माल दुलाई, पैकिंग शुल्क, बीमा इत्यादी) परन्तु विभाग से वसूले जाने वाले करों की दर (जैसे – उत्पाद शुल्क, एस०जी०एस०टी०, सी०जी०एस०टी०) अलग से लिखना अनिवार्य होगा।
5. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी।
6. निविदा केवल उन्हीं फर्मों द्वारा स्वीकर करना होगा जो निर्माता/प्राधिकृत वितरक/डीलर या एजेन्सी हो। उन्हें संस्थान के नाम से एक प्राधिकार पत्र देना अनिवार्य होगा।
7. स्वीकृति एवं अनुमोदन के पश्चात् भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जाएगा।
8. सभी सामानों का वारंटी अवधि (स्पेयर्स पार्टस के साथ) और वारंटी के बाद व्यापक वार्षिक रख-रखाव अनुबंध (स्पेयर्स पार्टस के साथ) पाँच (05) वर्ष के लिए करना अनिवार्य होगा।
9. शेष अन्य शर्तें संस्थान के वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।


प्राप्तिया, 01-05-

राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय,
वेतिया, पश्चिम चम्पारण।




Scanned with OKEN Scanner

अन्य शर्तें

1. निर्माता / आयातक द्वारा जारी प्राधिकार पत्र संलग्न होना अनिवार्य होगा।
2. तकनीकी निविदा के लिफाफे के राष्ट्र क्रम रांख्या, मशीन / उपकरण का नाम और फर्म का नाम होना चाहिए।
3. वारंटी अवधि और वारंटी के बाद व्यापक वार्षिक रख-रखाव (रेपेयर पार्टर के राष्ट्र) की अधिकतम अवधि उद्धृत होना चाहिए।
4. इस आशय का मूल्य निर्धारण प्रगाण-पत्र प्रत्युत करना होगा ताकि ये प्रतावित दरें उचित एवं न्यायोचित हैं और हम किसी अन्य दूसरे संरथान को कम दरों में आपूर्ति नहीं कर रहे हैं।
5. यदि आपूर्तिकर्ता आपूर्ति आदेश को निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नहीं कराती है, तो L₂ निविदादाता को आपूर्ति आदेश निर्गत करने के लिए क्रय समिति स्वतंत्र होगी।
6. घरेलू उत्पाद का आपूर्ति 30 दिनों के भीतर हो जानी चाहिए। आयातिक वस्तुओं पर सीमा शुल्क निविदादाता को स्वयं व्यय करना होगा।
7. फर्म द्वारा किसी भी नए साझेदार को अनुबंध के बाद स्वीकार नहीं किया जाएगा।
8. आपूर्ति किए गए सामान अपने अधिष्ठापन से वारंटी अवधि तक निर्धारित विवरणी एवं गुणवत्ता के अनुरूप बना रहेगा इसका शपथपत्र निविदादाता को देना होगा। यदि इस बीच कोई दोष पाया जाता है, तो आपूर्तिकर्ता को वारंटी अवधि के बीच अपने खर्च पर उसे बदलना या मरम्मत करना होगा।
9. आपूर्तिकर्ता विशिष्ट प्रकार के मशीन के लिए आवश्यक स्पेयर पार्ट्स की पर्याप्त नियमित आपूर्ति करना सुनिश्चित करेगा।
10. L₁ निविदादाता को उचित रूप से पैक की गई नमूनों का सेट कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध कराना होगा।
11. प्रत्येक नमूने के पैकिंग पर पूर्ण जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए।
12. आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति किए गए सामग्रियों का भुगतान स्वारूप विभाग, विहार सरकार द्वारा प्राप्त आवंटन के उपरान्त ही किया जाएगा।
13. मशीन खराब होने की स्थिति में सक्षम पदाधिकारी द्वारा सूचना प्राप्त होने पर तीन दिनों के अन्दर पूर्णतः मरम्मत कराना अनिवार्य होगा।
14. अद्योहस्ताक्षरी को बिना कारण बताए किसी भी निविदा को अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित होगा।
15. किसी भी तरह के विवाद का निपटारा बेतिया स्थित न्यायालय में होगा।


प्रभारी,
राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय,
 डॉ. सैमिया, परिचम चम्पारण।
संभाग